रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 2
PART III—Section 2
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2012/चैत्र 10, 1934
No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2012/CHAITRA 10, 1934

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2012

सं. डी. II/451(16)/4/2012(अ).—केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उनमुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड II, तारीख 28 अक्तूबर, 1972 में प्रकाशित भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं. यूआई/222(66)/71, तारीख 28 अक्तूबर, 1972 में निम्नलिखित और उपांतरण करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(i) आरंभिक पैरा में ''सिवाय यह कि'' शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और ''लागू होंगी'' शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''सिवाय यह है कि धारा 18(ख), धारा 18(घ), धारा 18(ङ) और 18(छ) तथा धारा 19 के अधीन छूटें उपांतरणों के पैरा 2क में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए उक्त संस्थान के गैर-भारतीय पदधारियों को लागू होंगे'';

(ii) ''उपांतरण'' शीर्ष के अधीन पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''2क. अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद V की धारा 18(ख) उन भारतीय कर्मचारिवृन्द सदस्यों के संबंध में लागू होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय आधार पर संस्थान द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं।'';

रुचिरा काम्बोज, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. यूआई/222(66)/71, तारीख 28 अक्तूबर, 1972 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. यूआई/222(66)/71, तारीख 30 जून, 1973 द्वारा संशोधित की गई ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION ICRISAT

New Delhi, the 30th March, 2012

No. D. II/451(16)/4/2012(E).—In exercise of the powers conferred by Secton 3 of the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947), the Central Government hereby makes the following further modifications in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. UI/222(66)/71, dated the 28th October, 1972 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 2 of the same date, namely :—

In the said notificaton,—

(i) in the opening paragraph, for the words beginning with "except that" and ending with

"by the Institute", the following shall be substituted, namely :—

"except that the exemptions under Section 18(b), (d), (e) and (g) and Section 19 shall apply to the non-Indian officials of the said Institute subject to the provisions contained in paragraph 2A of the Modifications";

(ii) under the heading "Modifications", after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely :—

"2A. Section 18(b) of Article V of the Schedule to the Act shall be applicable in respect of Indian Staff Members who are recruited on the basis of open competition by the Institute on International basis.";

RUCHIRA KAMBOJ, Jt. Secy.

Note.—The principal notificaton was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* No. UI/222(66)/71, dated the 28th October, 1972 and subsequently amended *vide* No. UI/222(66)/71, dated the 30th June, 1973.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.